Reservation for SCs/STs

2711. DR. B. B. DUTTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to reveiw the orders on job reservations for Scheduled Castes and Scheduled Tribes;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether the Government have set up any Committee on examine it; and

(d) if so, the details thereof alongwith the action taken in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) Yes, Sir.

(b) The review involves keeping in view all the relevant considerations including legal and constitutional aspects related to the issues.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

नौकरशाही में भ्रष्टाचार

2712. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि पूरी भारतीय नौकरशाही भ्रष्ट है और जब इसमें कोई एकाध सही नौकरशाह पहुंच जाता है, तो उसे अन्धाधुन्ध तबादलों का सामना करना पड़ता है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार अधिकारियों के कार्यकाल को एक खास पद पर खास अवधि तक निर्धारित करने का प्रबंध करेगी?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) जी, नहीं।

(ख) जहां तक केन्द्र-सरकार के अधीन पदों का संबंध है, केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के अन्तर्गत आने वाले विभिन्न पदों का एक निर्धारित कार्यकाल होता है। राज्य सरकारों के अधीन पदों के सम्बन्ध में यह उन पर निर्भर करता है कि वे अपने नियन्त्रणाधीन पदों के सम्बन्ध में उपयुक्त नीतियां बनाएं।

केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के पास लंबित मामले

2713. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण एवं मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण में 28 फरवरी, 1999 की स्थिति के अनुसार लंबित मामलों की संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) इन न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और सदस्यों के कितने पद रिक्त हैं तथा कब से रिक्त हैं;

(ग) इन पदों को न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों की पूर्ति और लंबित मामलों को तेजी से निपटाने हेतु की जा रही कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती वसुन्धरा राजे): (क) फरवरी 28, 1999 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण और मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में क्रमशः 49780 और 26782 मुकदमे अनिर्णीत-लंबित चल रहे थे।

(ख) दिनांक 12-04-1999 को मौजूद स्थिति के अनुसार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष का एक पद, प्रशासनिक सदस्य के आठ पद और न्यायिक सदस्य का एक पद रिक्त थे। ये सभी रिक्तियां वर्ष 1998 से संबंधित हैं।

मध्य प्रदेश अधिकरण में, उपाध्यक्ष का केवल एक पद दिसम्बर, 1996 से रिक्त चला आ रहा है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में उपाध्यक्ष और सदस्यों की रिक्तियों के मामले में चयन, उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश की अध्यक्षता वाली एक चयन-समिति की सिफारिशों के आधार पर, सामान्यतः वर्ष में दो बार किया जाता है। पहले चुने गए उम्मीदवारों में से कुछ ने नियुक्ति-प्रस्ताव स्वीकार कर लिए हैं और उनके द्वारा शीघ्र ही अपने पद का कार्यभार ग्रहण कर लिए जाने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश राज्य प्रशासनिक

अधिकरण में उपाध्यक्ष की रिक्ति के मामले में मध्य प्रदेश सरकार ने यह सूचित किया है कि उक्त पद पर नियुक्त किए गए व्यक्ति ने पद का कार्यभार ग्रहण नहीं किया।

प्रशासनिक अधिकरण के न्यायिक कामकाज पर केन्द्रीय अथवा राज्य-सरकार का कोई नियंत्रण नहीं होता। तथापि, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण में अनिर्णीत-लम्बित चल रहे मुकदमें शीघ्र निबटाए जाने की दृष्टि से, सभी मंत्रालयों/विभागों को, समय-समय पर अधिकरण के समक्ष चलाए जा रहे मुकदमों की सही ढंग से देख-रेख करने और उनके सम्बन्ध में अपने स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र करने की सलाह दी गई है। जब कभी अधिकरण में उपाध्यक्ष और सदस्यों के पद रिक्त होते हैं उन्हें यथाशीघ्र भरने के प्रयत्न किए जाते हैं। जहां तक मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण में अनिर्णीत-लम्बित चल रहे मामलों का सम्बन्ध है, उपर्युक्त अधिकरण के काम-काज का विनियमन केन्द्रीय सरकार में निहित नहीं है, अतः मध्य-प्रदेश सरकार को, राज्य प्रशासनिक अधिकरण में अनिर्णीत-लम्बित चल रहे मुकदमों के शीघ्र निबटारे हेतु ऐसे ही कदम उठाने की सलाह दी गई है।

Ratio of marks for written text and invterview

2714. SHRI GOVINDRAM MIRI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the ratio of marks for written test and oral interview in recruitment of Group B, C and D posts to be filled by direct recruitment in Central Government;

(b) whether this is applicable for similar recruitment by instrumentalities of Government of India; and

(c) if so, the details of such provisions?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) to (c) No general guidelines have been issued to determine the ratio of marks for written test and oral interview in recruitment to Group B, C and D posts to be filled by direct recruitment in the Central Government. However, the said ratio is determined in each case depending upon the functional requirement of the post to be filled so as to facilitate suitable selection.

Anomalies in fixation of pensions

2715. SHRIMATI URMILABEN CHIMANBHAI PATEL:
SHRI BRAHMAKUMAR BHATT:

Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that all pre-1996 pensioners and serving personnel have been given 40 percent fitment weightage and DR/DA at the rate drawn on 1.1.1996 but this benefit has been denied to the persons retired on superannuation between January and September, 1996;

(b) if so, whether it is also a fact that these pensioners are getting much less pension than that they used to get before 1996 which result in reduced commutation; and

(c) if so, the effective measure taken by Government to remove this anomaly?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS (SHRIMATI VASUNDHRA RAJE): (a) As per the provisions contained in the pension rules for the purpose of computations of the pension emoluments drawn by the Govt. servant during the last ten months of his service are taken into account. In the case of employees who have retired between January and September 1996, emoluments drawn in the pre-revised scale of pay for the period prior to 1.1.1996 and pay in the revised scales for the remaining period have been taken into account. The revised scales of pay as on 1.1.1996 already includes the fitment weightage and D.A. as